झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–413 / 2019

मोहम्मद साजिद आलम और अन्य .... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य ..... विरोधी पार्टियाँ

<u>कोरमः</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री जय प्रकाश पांडे, अधिवक्ता

विरोधी पार्टी के लिए : श्री प्रशांत पल्लव, जी0ए0–IV

03 / 27.09.2019 यह सिविल विविध याचिका इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–521 / 2016 में पारित दिनांक 07.08.2018 के आदेश के संशोधन हेतु दायर की गई है।

याचियों के विद्वान वकील द्वारा यह निवेदन किया गया है कि चूंकि संबंधित जिलों के डी0एस0ई0 को मुख्य रिट आवेदन में पक्षकारों की सरणी में पक्षकार नहीं बनाया जाता है, वे इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–521 / 2016 में पारित आदेश के मद्देनजर काउंसलिंग के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए, दिनांक 07.08.2018 के आदेश में संबंधित जिलों के डी0एस0ई0 को पार्टी–प्रतिवादी के रूप में शामिल करना आवश्यक है।

हालांकि, दिनांक 07.08.2018 के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी–सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार

और सचिव, मानव संसाधन विभाग एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, झारखंड सरकार को निर्देश दिया गया था, जिनका नाम मुख्य रिट याचिका में पार्टी–प्रतिवादी के रूप में पहले से ही शामिल थे। इस प्रकार, डी0एस0ई0 को पक्षकार–प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिट आवेदन का निपटान पहले ही दिनांक 07.08.2018 के आदेश द्वारा किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने दें।

तदनुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)